(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1415–एक/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2004 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 10/2002–03/निगरानी

.....

विद्याबाई पत्नि नारायण सिंह कुशवाह
निवासी ग्राम सर्वा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–प्रदीप सिंह पुत्र हुकुमसिंह कुशवाह
2–यतीन्द्रसिंह पुत्र हुकुमसिंह कुशवाह
3–विक्रमसिंह पुत्र हुकुमसिंह कुशवाह
निवासीगण ग्राम जौरा तहसील भितरवार
4–सरजूबाई पत्नी बालकिशन
निवासी ग्राम सर्वा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर
5–सोनाबाई पत्नि बलुआराम
निवासी ग्राम जौरा तहसील भितरवार
6–हुकुमसिंह पुत्र बलुआराम
निवासी किरार कॉलोनी कम्पू लश्कर
ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसील न्यायालय में मृतक भूमिस्वामी बलुआराम की मृत्यु होने एवं उसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करनो से वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–11–1998 को आदेश पारित कर वसयीतनामा के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–8–2002 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि मृतक भूमि के सभी वैध वारिसानों को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष पर न्यायोचित आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–08–2004 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदिका के पक्ष में दिनांक 16–9–2005 को उसके पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । यह भी कहा गया कि निर्विवादित रूप से आवेदिका मृतक बलुआराम की पुत्री होकर वर्ग–एक की उत्तराधिकारी है, परन्तु उसे कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अन्तर्गत विधिवत् पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दी जाना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं कर सीधा गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह विधिक एवं न्यायिक दायित्व था कि वे समय सीमा के बिन्दु पर विचार कर निष्कर्ष निकालते, केवल अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने से पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त नहीं सका है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे समय सीमा के बिन्दु पर सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का विधिवत् अवसर देते हुये समय सीमा के बिन्दु पर निष्कर्ष निकाला जाकर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2004 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर